

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
 अमरजीत सिंह बनाम करनैल सिंह व अन्य  
 प्रकरण संख्या 2024 / 079  
 online #  
 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
24	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 09 जनवरी, 2025 को पेश हो. <i>ह</i></p> <p>09.01.25 अधिवक्ता श्री उपेन्द्र प्रकाश बत्तरा को जारी सम्मन अहकाम (अ) वाचक द्वारा (अ) पंजिका चढ़ाई 2-वजाह तलबी हेतु दिनांक 19.02.25 को पेश हो <i>ह</i></p> <p>19-2-25 आज पौठामान अधिकारों के अन्तर्गत पत्रावली पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/3/25 को पेश हो <i>ह</i></p> <p>25/02/25 अधिवक्ता वादी उपेन्द्र प्रकाश बत्तरा द्वारा मित्रक पेशी उपस्थित फर्द अहकाम के तलबी पर पत्रावली अहकाम पेशी में जी गरी उपस्थित फर्द के अहकाम वादी प्रकटमा के साथ नोई कार्य गरी नहीं पाएगा ही इस्तिकत फुलदत इन्ही स्टेज पर दाखिल फुलदत किया जाके पत्रावली का अहकाम किया जाके पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी हेतु विचारधीन है अतः वादी अधिवक्ता द्वारा उपेन्द्र प्रकाश बत्तरा की तरफ किया जाके एहकाम अहकाम वरीमान स्टेज पर खारिज किया जाके ही पत्रावली नखीक है। पत्रावली द्वारा पंजिका के फुलदत के अहकाम अहकाम मित्रक की पेशी के शानिक हो <i>ह</i></p>	 